न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी : ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/141 दायरा दिनांक : 22.08.2022

उनवान

1– कन्हींराम आत्मज हरिसिंह
2– केसर बाई पुत्री कंवरलाल
3– गुड्डीबाई पुत्री हरिसिंह
4– गायत्रीबाई पत्नी गोपाल लाल
5– जमनाबाई पत्नी हरिसिंह
6– धापूबाई पत्नी कंवरलाल
7– निर्मलाबाई पुत्री गोपाल लाल
8– परमानन्द पुत्री हरिसिंह
9– भगवान सिंह पुत्र कंवरलाल
10– मंजू बाई पुत्री गोपाल लाल
11– श्यामलाल पुत्री कंवरलाल
12– रेखा बाई पुत्री हरिसिंह
13– संतोष बाई पुत्री हरिसिंह
अकवाम गुर्जर, निवासीयान गुराडिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राजस्थान
.... अपीलांट

बनाम

1– छीतरलाल आत्मज नानूराम
2– जीवन कटारा आत्मज छीतरलाल
अकवाम भील, निवासीयान गुराडिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राजस्थान
3– राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सुनेल
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हुकुम चन्द कुमावत एवं श्री उम्मेद सिंह लोधा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 25.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या 49/2022 निर्णय दिनांक 06.07.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

25/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गुराडिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड में स्थित आराजी खाता संख्या नया 56 पुराना 75 खसरा सं. 457 रकबा 0.5817 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने आदेश दिनांक 06.07.2022 से प्रार्थीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा में प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर उसके खाते की भूमि ग्राम गुराडिया खसरा सं. 457 रकबा 0.5817 हेक्टर पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 461 पर बताते हुए 15 फीट चौड़ाई के लिए रास्ता चाहा था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को दिनांक 26.05.2022 को हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस जारी किये गये व मौका रिपोर्ट तहसीलदार सुनेल से तलब की दिनांक 07.06.2022 को अप्रार्थीगण 1, 4 से 10, 12 व 14 के नोटिस प्राप्त, अप्रार्थी सं. 2, 3, 11 व 13 के नोटिस अदम प्राप्त, होने से आगामी तिथि 28.06.2022 नियत की, दिनांक 28.06.2022 को अप्रार्थी सं. 2, 11 व 13 की पंजीकृत डाक रसीदे पेश की, अप्रार्थी सं. 3 की रसीदे पेश नहीं हुई, दिनांक 05. 07.2022 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया, उसी दिन बहस सुनी तथा दिनांक 06.07.2022 को इस प्रकरण का निर्णय करते हुए अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 461 की उत्तरी मेड 99 X 12= 1188 वर्ग फीट का एवं पश्चिमी मेड 346.5 X 12= 4158 वर्ग फीट में नवीन रास्ता 56300 रूपये की क्षति पूर्ति राशि पर देने का आदेश पारित किया। अपीलार्थीगण की आराजी की मेड़ों पर किसी भी प्रकार से राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नहीं है। प्रत्यर्थी अपनी आराजी को इस मार्ग के बिना भी काश्त कर रहा है अर्थात उसके पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इस प्रकार प्रत्यर्थी की आराजी पर आने जाने के वैकल्पिक मार्ग के होते उसने अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्वक तंग व परेशान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई, पंजीकृत डाक की तामील के लिए न्यायालय से आदेश नहीं हुए थे, पंजीकृत तामील के लिए मान्य उपधारणा 30 दिन होती है उसके पूर्व ही एकपक्षीय आदेश किये गए हैं, अर्थात् पंजीकृत तामील जारी होने तथा तामील होने के मध्य 30 की समयावधि नहीं है, अप्रार्थी सं. 3 की तामील के होने के बारे में तो किसी प्रकार से कोई आदेश भी नहीं है उसके बावजूद उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, इस कारण अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का तथा सुनवाई के अवसर से वंचित रहे हैं। न्यायालय के आदेश के अनुसरण में मौका रिपोर्ट जो तहसीलदार सुनेल द्वारा भिजवायी गयी है उसमें अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई, तहसीलदार व भू अभिलेख निरीक्षक हल्का कभी भी मौके पर उपस्थित नहीं हुए, न ही मौके पर उन्होंने मौके पर रिपोर्ट ही बनायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उचित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं हुआ है जो आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में जमाबंदी के समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने पर ही नया रास्ता दिया जाता है जबकि वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण रेस्पोडेंट अभी तक वैकल्पिक रास्ते से ही जा रहे थे। अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व हमें कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही हमें मौके पर बुलाया गया। मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है जबकि मौके पर तहसीलदार द्वारा तैयार की जानी चाहिए। अतः अपील स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2020(2) पेज 979 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि मौका रिपोर्ट पर आई.एल. आर. के भी हस्ताक्षर है। रास्ता खुल चुका है, मौके पर रास्ता चालू है, मौके पर अब कोई विवाद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि दिनांक 28.06.2022 की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अप्रार्थी सं. 2, 11, 13 के रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन की रसीदे पेश की गई। रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 21.06.2022 को करायी गयी। दिनांक 05.07.2022 को एक्सपार्टी कर दिया गया। नियमानुसार रजिस्टर्ड ए. डी. के पश्चात् न्यूनतम एक माह का इंतजार किया जाता है ताकि समुचित तामील हो सके। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र 15 दिन पश्चात् ही एक्स पार्टी के आदेश कर दिये जो समुचित तामील की श्रेणी में नहीं माने जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया

17/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया।

धारा 251 ए में पटवारी की मौका रिपोर्ट को मान्य नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 01.06.2022 की पटवारी रिपोर्ट में उभयपक्ष को मौके पर बुलाने का कोई जिक्र नहीं है। दिनांक 01.06.2022 की पटवारी रिपोर्ट में स्वयं पटवारी द्वारा यह लिखा गया है कि मौके पर निरीक्षण हेतु ग्राम गुराडिया पहुंचा। दिनांक 01.06.2022 की रिपोर्ट में आई.एल.आर. के हस्ताक्षर अवश्य है लेकिन मौके पर जाने का जिक्र नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, पिडावा, तहसीलदार पिडावा एवं आई.एल. आर. किसी के भी द्वारा मौका निरीक्षण नहीं करने से निर्णय अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार मौका रिपोर्ट मंगवाकर एवं इस बिन्दु पर अपना निर्णय पारित करते हुए कि रेस्पोडेंट प्रार्थी को कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं। उपरोक्त बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए धारा 251 (क) के नियमों को मध्य नजर रखकर पुनः प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.09.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा